

नरेश वनाम केलाश

२७/३/२३

आज फतावली पैश हुई।

वादी एवं वादी वकील उपस्थित। वादी द्वारा

प्राप्तुत प्राचीन-पत्र के आधार पर मूल वाद

नौर-प्रेस क्रिया जमा है। अतः प्राचीन-पत्र
२१२ का कोई औचित्य नहीं है। प्राचीन पत्र २१२

आदेश दिनांक १७/०५/२२ क्रम संख्या ३१

के इसी दखर पर नौर-प्रेस कर खरीज क्रिया
जमा है। फतावली नम्बर से कम है। बाद शरी

मूल वाद के साम्य संलग्न रहे।

सहायक कलेक्टर
बलसोर (अलग) राज.